सं. ई.11013/1/2020-रा.भा.

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राजभाषा अनुभाग)

पीटीआई बिल्डिंग, तृतीय तल
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 03 फरवरी, 2020

कार्यालय आदेश

विषय: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन।

मंत्रालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपर सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसकी संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	
1	सुश्री जूथिका पाटणकर	अपर सचिव, एमएसडीई	अध्यक्ष
2	श्री आर.के. गुप्ता	निदेशक	सदस्य
3	श्री बी.के. सिकदर	निदेशक	सदस्य
4	श्री वी.के. सिन्हा	निदेशक	सदस्य
5	श्री ऐ.के. सचदेवा	निदेशक	सदस्य
6	श्री नरेंद्र सिंह	उप सचिव (स्थापना)	सदस्य
7	श्री देव प्रकाश सिंह	उप सचिव (सामान्य प्रशासन, विश्व कौशल, सतर्कता और मीडिया)	सदस्य
8	डॉ. बी.के रे	उप-सचिव	सदस्य
9	श्री सनातन	उप-सचिव	सदस्य
10	श्रीमती अनिता श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक	सदस्य
11	श्रीमती उषा	अवर सचिव (सामान्य प्रशासन/समन्वय)	सदस्य
12	श्रीमती प्रभा शर्मा	अवर सचिव (स्थापना और रोकड़)	सदस्य
13	श्री नरेश चंद बहुगुणा	अवर सचिव (आईसीटी)	सदस्य
14	श्री शिवनंदन कुमार	अवर सचिव (संसद)	सदस्य
15	श्री ब्रजेश कुमार माथुर	अवर सचिव (वित्त)	सदस्य
16	श्री साजित कुमार	अवर सचिव (जेएसएस)	सदस्य
17	श्री हेत राम	अवर सचिव (जेएसएस)	सदस्य
18	श्री टी. नंद कुमार थाचेट	अवर सचिव (एनएपीएस)	सदस्य
19	श्री गोपाल कृष्ण चौधरी	अवर सचिव (ईएनपी)	सदस्य
20	श्री आर.के. महरौलिया	अवर सचिव (बजट)	सदस्य
21	श्री संजय शर्मा	अवर सचिव (ईएंडपी)	सदस्य
22	श्री लेंडुप शेरपा	अवर सचिव (संकल्प)	सदस्य
23	श्री आलोक निगम	उप-निदेशक	सदस्य
24	श्री संजीव कुमार	उप-निदेशक(कौशल विकास/पीएमकेवीवाई/पीएमकेके)	सदस्य
25	श्री शंकर पंडित	अनुभाग अधिकारी (आईएसडीएस)	सदस्य
26	सुश्री पूनम शर्मा	अनुभाग अधिकारी (सीआर)	सदस्य
27	श्री जय प्रकाश	अनुभाग अधिकारी	सदस्य
28	राजभाषा विभाग का प्रतिनिधि		आमंत्रित सदस्य
29	श्री सुखबीर सिंह	सहा.निदेशक (रा.भा.)	सदस्य-सचिव

2. समिति का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष होगा। किसी भी सदस्य का स्थानांतरण/ सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उस सदस्य के स्थान पर कार्यग्रहण करने वाला अधिकारी स्वत: ही इस समिति का सदस्य होगा।

3. समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे वर्ष की प्रत्येक तिमाही अर्थात जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर माह के दूसरे-तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें, ताकि उनके नियंत्रणाधीन प्रभाग/अनुभाग में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा सके और हिंदी के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रभावी उपाय किए जा सकें। बैठक की कार्यसूची यथा समय भेजी जाएगी।

4. यह अपर सचिव, एमएसडीई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

05/02/2020

(सुखबीर सिंह)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. समिति के सभी सदस्य
2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री/राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी बिल्डिंग-2, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि मंत्रालय की नवगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति में किसी प्रतिनिधि को नामित करें।
5. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने-अपने कार्यालय में भी समिति का गठन करें।
6. आईसीटी अनुभाग को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।